

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 14 (PHED) 2017/एफसीए/प्रमुखसं/4598

दिनांक: 27.12.2017

मुख्य वन संरक्षक  
अजमेर।


विषय:-Diversion of 0.0225 hac. of forest land in favour of PHED, Ajmer for Construction of Trambey Station Harizen Basti OHSR, Ajmer District. (प्रस्ताव सं. FP/RJ/WATER/26264/2017)

संदर्भ:-आपका पत्रांक 8050 दिनांक 6.12.17

महोदय,


विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि भारत सरकार के पत्र दि. 14.11.2017 के बिन्दु 4 के क्रम में आपकी टिप्पणी अपूर्ण है। अतः उक्त बिन्दु 4 की पालना में अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा की गई कार्यवाही पर आपकी स्पष्ट टिप्पणी प्रेषित करे।

भवदीय,

  
(ए.के. सिंह)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर  
५१८ दूरभाष कार्यालय-०१४१२७१३७५९, मो.नं. ९४१४०५९१४६

कार्यालय उक्त १५ वां उत्तरांक नं. ५२-  
कार्यालय एफ. १४ (८२ अ.) १५ जी ए। एक बीमा। २०१७  
अतिविष्यि उक्त १५ वां उत्तरांक नं. ५२ को, छोलित जर  
लेत है कि बिन्दु ८. ५ के बारे में २-पठ्ठ १२०५०४  
किसानी द्वारा उत्तरांक नं. ५२।

  
(राजकुमार सिंह)  
वन संरक्षक  
अजमेर